उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002)

THE UTTAR PRADESH SPECIAL ECONOMIC ZONE DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2002

(U.P. Act No. 10 of 2002)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2006

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 07 सितम्बर, 2002 को प्रकाशित हुआ।]

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 कहा जायगा ।

परिभाषायें

2– इस अधिनियम में,––

(क) "सुविधा" का तात्पर्य सड़क, जल–सम्भरण, सड़क पर रोशनी और विद्युत प्रदाय, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा करकट का संग्रह आदि लोक स्वास्थ्य और शिक्षा, आग बुझाने की सेवायें, सार्वजनिक पार्क और ऐसी अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवाओं या सुविधाओं से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) "विकासकर्ता" का तात्पर्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म या ऐसी अन्य निजी या सरकारी उपक्रम से है, जो अवसंरचना का अंशतः या पूर्णतः और परिक्षेत्र की अन्य सुविधाओं को विकसित, निर्मित, अभिकल्पित, संगठित, संवर्धित, वित्त पोषित, प्रवर्तित, अनुरक्षित, प्रबन्धन करती है और जो प्राधिकरण द्वारा चयनित और यथास्थिति, राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित की जाय ;

(ङ) "विकास क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए अधिसूचित किसी क्षेत्र से है ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें ।

(च) "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" का तात्पर्य विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित विकास के अंशतः या पूर्णतः क्षेत्र से है ;

(छ) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके अध्यासन में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन हो और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं ;

(ज) "अन्तरिती" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से कोई भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं ;

(झ) "अवसंरचनात्मक सुविधाये" का तात्पर्य किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा या उपयोगकर्ताओं के किसी विशिष्ट समूह द्वारा विशेष सेवाओं का उपयोग किया जाना जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें भी हैं, अर्थात :–

(एक) विद्युत का उत्पादन और प्रदाय ;

(दो) जल निष्कासन, शोधन और वितरण ;

(तीन) अपशिष्ट जल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ;

(वार) सफाई और सीवर व्यवस्था प्रणाली ;

(पांच) विमानपत्तन और रेल प्रणाली ;

(छः) सड़कें, पुल, उपरिगामी सेतु और

(सात) समान प्रकृति की कोई अन्य लोक सुविधा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय ;

(ञ) शब्द और पदावली "भवन", "विकास", "भवन का परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिए दिए गए हैं।

[1][**2–**क (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की स्थापना का इच्छुंक हो, ऐसे प्रपत्र में जिसमें ऐसे विवरण और दस्तावेज अन्तर्विष्ट हों, और ऐसे शुल्क के साथ जिन्हें विहित किया जाय, राज्य सरकार को आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की संवीक्षा करेगी और उसे उपान्तरण, यदि कोई हो, सहित उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अनुमोदित और घोषित करने के लिये तथा ऐसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के निमित्त विकासकर्ता को अधिसूचित करते हुए भारत सरकार से सिफारिश करेगी।]

प्राधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण'' कहा जाएगा।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :–

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 2006 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
(घ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ङ) औद्योगिक विकास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(च) कृषि विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ज) कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(झ) लघु उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ञ) नियोजन विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ट) आवास विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वृहत्तर नोएडा	सदस्य
(ड) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा	सदस्य
(ढ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
(ण) क्षेत्र का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य–सचिव

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसे सदस्य सहयोजित कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के सन्तोषजनक निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद सचिव का तात्पर्य, जहां विभाग में प्रमुख सचिव हैं, वहां पर प्रमुख सचिव से होगा।

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) प्राधिकरण की बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, प्राधिकरण में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4–(1) विकास आयुक्त जो प्रायः भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकरण द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द

5–(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाये, प्राधिकरण उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और उनकी श्रेणी और पदनाम अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की निधि से ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाय।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप मे अधिसूचित किसी क्षेत्र का प्रभाव

6–विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने वाले किसी क्षेत्र के परिणामस्वरूप–

(क) इस रूप में अधिसूचित ऐसे क्षेत्र में स्थापित इकाइयां समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त राजकोषीय प्रसुविधाओं और छूट की हकदार होंगी ;

(ख) ऐसे परिक्षेत्र के अधीन क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती समझा जायेगा और विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के क्षेत्र के भीतर पूर्व में घोषित कोई अन्य औद्योगिक बस्ती विघटित हो जाएगी और वह विशेष आर्थिक परिक्षेत्र औद्योगिक बस्ती द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिये समय–समय पर अधिसूचित समस्त लाभ/प्रोत्साहन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर लागू होंगे।

प्राधिकरण के कृत्य

7–(1) प्राधिकरण का कृत्य विकास क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि का अर्जन करना ;

(ख) विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना जिसमें तल क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेशिओ), भू–आच्छादन, पर्यावरणीय उपबंधों (हरित क्षेत्र, जल निकास), अग्नि सुरक्षा के उपाय आदि के संबंध में मार्गदर्शन की रूपरेखा भी हो सकती है;

(ग) तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता रिपोर्ट या यथास्थिति किसी परियोजना के लिए जिसे परिक्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक समझा जाय, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऐसी परियोजना में निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के उपाय करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ;

(घ) परिक्षेत्र की अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए विकासकर्ता का चयन करना ;

(ङ) सहउद्यम भागीदारों को परियोजना के स्वामित्व के अनुवर्ती अन्तरण सहित विकास क्षेत्र के विभिन्न घटकों के विकास के लिए उपयुक्त सहउद्यम की व्यवस्था में प्रवेश करना ;

(च) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं और योजनाओं का समयानुकूल कार्यान्वयन हो।

(छ) प्राधिकरण के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर सेवायें प्रदान कर रहे अभिकरणों और उसके उपभोक्ताओं के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों का निपटारा करना,

(ञ) अपने पदाभिहित क्षेत्र में विकासकर्ता को यथास्थिति, अपनी किन्ही या समस्त शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(झ) कोई अन्य कृत्य जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

भूमि के अंतरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की शक्ति

8—प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्राधिकरण के किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम या विनियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेंच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

प्राधिकरण द्वारा कर का उदग्रहण

9—(1) विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे वार्षिक कर का उदग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार, यथास्थिति, ऐसे स्थल या भवन के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "बाजार मूल्य" का तात्पर्य निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, से है :—

(क) विक्रय की दशा में प्रतिफल की राशि ; या

(ख) पट्टा की दशा में प्रीमियम की राशि ; या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि।

(2) यदि राज्य सरकार लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यासी या उसके किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन उदग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबन्ध

10–(1) प्राधिकरण, अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को, ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए विहित की गई हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदान की गई सेवा के लिए उपयोक्ता प्रभार उदग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयोगिताओं की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लिए उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार की दरें नियत की जाएंगी, यहाँ तक कि यह एक वार्षिक प्रत्यागम सुनिश्चित करता है जो अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था में किए गए पूंजीगत निवेश पर सोलह प्रतिशत उत्तरवर्ती–कर के प्रत्यागम से अनधिक होगा।

(4) प्राधिकरण उपयोक्ता–प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

(क) पद "व्यवस्था करना" के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित है ;

(ख) पदं "उत्तरवर्ती–कर प्रत्यागम" का तात्पर्य ऐसे शुद्ध प्रत्यागम से है, जो ऐसे आयकर के भुगतान के पश्चात उद्भूत होता है जिसे कुल प्रत्यागम पर देय पाया जाय।

विकासकर्ता के कृत्य

11–(1) विकासकर्ता का कृत्य परिक्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और परिक्षेत्र के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रशासन की व्यवस्था करना होगा।

(2) सरकार द्वारा किसी विकासकर्ता के इस प्रकार चयन किये जाने के परिणाम–स्वरूप विकास क्षेत्र या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता में निहित होगा और आर्थिक परिक्षेत्र के क्रियान्वयन में प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं होगी ;

परन्तु यह कि विकास क्षेत्र के उस भाग, जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिए अधिसूचित नहीं है, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी;

परन्तु यह और कि किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के किसी भाग, जिसके लिए किसी विकासकर्ता का चयन न किया गया हो, के लिए प्राधिकरण के पास किसी विकासकर्ता की समस्त शक्तियाँ होंगी।

(3) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विकासकर्ता निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :–

(क) प्राधिकरण द्वारा रेखांकित पर्यावरणीय, फ्लोर एरिया रेसियो (एफ० ए० आर०), भू–आच्छादन, अग्निसुरक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शन के अनुरूप परिक्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना और योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(ख) उस प्रयोजन को, अर्थात औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या

किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या भूखण्ड का उपयोग किया जाएगा ;

(ग) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अवसंरचना की व्यवस्था करना ;

(घ) सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(ङ) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्डों का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

(च) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ;

(छ) उसके द्वारा, इस निमित्त, स्वयं या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए विकास, निर्माण, प्रतिष्ठापन, प्रवर्तन, प्रबंध और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुरक्षणं करना।

भूमि के अन्तरण के संबंध में विकासकर्ता की शक्ति

12–विकासकर्ता विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्राधिकरण की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन्हें वह अपनी नियुक्ति को शासित करने वाले निबंधन और शर्तों और विकासकर्ता के रूप में अधिसूचना के अधीन रहते हुए नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

विकासकर्ता द्वारा फीस का उदग्रहण

13–(1) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ता ऐसे वार्षिक फीस का उदग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अध्यासी से कर सकता है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए उपबंध

14–(1) विकासकर्ता अपनी कोई निजी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर सकता है या किसी सरकार या निजी अभिकरण को ऐसी रीति से जो किसी अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विहित की गयी हो, लगा सकता है।

(2) जहाँ कोई अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था की गयी हो, वहां विकासकर्ता को इस प्रकार प्रदान की गयी सेवा के लिए उपयोक्ता–प्रभार उदग्रहण करने का अधिकार होगा।

(3) कर्ता उपयोक्ता–प्रभार को संग्रह करने के अधिकार को अवसंरचनात्मक सुविधा की व्यवस्था कर रहे अभिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए :–

पद "व्यवस्था करना" के अन्तर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और संचालन भी सम्मिलित होगा।

पुनर्विलोकन समिति

15–(1) ऐसे मामले में जहाँ विकासकर्ता द्वारा अवसंरचना की व्यवस्था की जानी हो, वहाँ प्रत्येक सेक्टर के लिए पुनर्विलोकन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) विकासकर्ता का नाम निर्देशिती ;

(ख) विकास आयुक्त

(ग) इकाइयों/निवासियों/सेवा प्रदानकर्ताओं या अन्य ऐसे हितबद्ध समूह, यदि कोई हो, के प्रतिनिधि।

(2) पुनर्विलोकन समिति, विकासकर्ता और उपभोक्ताओं के मध्य कार्यों और अन्य मामलों का पुनर्विलोकन और विनिश्वय विकासकर्ता के नियुक्ति की शर्तों के अन्तर्गत करेगी।

(3) पुनर्विलोकन समिति, ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर, जैसा आवश्यक समझा जाय, बैठक करेगी।

इकाई अनुमोदन समिति

16—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विकास आयुक्त को या तो सशक्त कर सकती है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी समिति, जिसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई अनुमोदन समिति कहा जाएगा, का गठन कर सकती है। प्राधिकरण कां मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा और समिति में समस्त सम्बन्धित विभागों, यथा—श्रम, पर्यावरण और प्रदूषण, उद्योग, व्यापार कर, ऊर्जा आदि, के प्रतिनिधि होंगे।

(2) इकाई अनुमोदन समिति, आर्थिक परिक्षेत्र के भीतर किसी इकाई की स्थापना के लिए, यथास्थिति, आवश्यक स्थानीय और राज्य स्तरीय समाशोधन, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित भी हैं :—

(एक) स्थल के लिए पर्यावरण समाशोधन ;

(दो) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति ;

(तीन) कारखाना और ब्वायलर्स निरीक्षणालय की ओर से स्थल समाशोधन ;

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना योजना का अनुमोदन ;

(पाँच) परिचालन और संचालन, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुज्ञप्ति ;

(छ) मुख्य ब्वायलर्स निरीक्षक की ओर से ब्वायलरों का रजिस्ट्रीकरण ;

(सात) ऊर्जा भार का अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो ;

(आठ) इस प्रकार अधिसूचित या अपेक्षित कोई अन्य अनुमोदन।

(3) इकाई अनुमोदन समिति, अनुमोदनों और समाशोधनों को त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए अन्य विभागों के ऐसे विशेषज्ञों या प्रतिनिधियों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, को आमंत्रित कर सकती है।

(4) इकाई अनुमोदन समिति, विभिन्न समाशोधनों, अनुमोदनों, अनुज्ञप्तियों या रजिस्ट्रीकरणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी और उल्लंघन/अननुपालन की दशा में सुसंगत प्रयोज्य विधियों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगी।

(5) इकाई अनुमोदन समिति अपने द्वारा प्रदत्त विभिन्न अनुज्ञप्तियों या अनुमोदनों आदि का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए किसी अभिकरण की नियुक्ति कर सकेगी और ऐसे समाशोधनों और अनुज्ञाओं आदि के अनुश्रवण के लिए अपेक्षित किसी सूचना की मांग कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

17—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 7 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,—

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

18–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10, 13, 14, 15 और 16 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित प्राधिकरण पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि,–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जाएगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति निर्देश समझा जाएगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

19–इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में या विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र या उसका कोई भाग, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

20–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

21–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के कार्यकलाप के प्रशासन के लिये विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) प्राधिकरण की बैठक बुलाना और बैठक करना, ऐसी बैठक को आयोजित करने के लिये समय और स्थान, बैटक के कार्य का संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्रों के रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबन्ध ;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उदग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) किसी अवसंरचनात्मक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले प्रभार ;

(छ) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जानी हो।

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय अधिनियमितियों का उपान्तरण

22—विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूची में दी गयी अधिनियमितियाँ या तो प्रवृत्त न रह जाएंगी या ऐसे उपान्तरों के साथ प्रवृत्त होंगी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची

(धारा 22 देखिए)

अधिनियमितियों की सूची

1— उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948

2— उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

3— उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

4— उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) ऐक्ट, 1952

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने वर्ष 1991 से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं निर्यात–आयात नीति से सम्बन्धित कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित निर्यात–आयात नीति 2000–2001 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किये जाने की योजना बनाई गयी है। उपर्युक्त योजना को अग्रसर करने के लिये यह विनिश्चय किया गया कि राज्य के कतिपय क्षेत्रों को औद्योगिक और नगरीय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।